आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Medical Health and Family Welfare Department, Government of Uttar Pradesh (SACHIS)

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojna

उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित परिवारजन स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाकर सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकते हैं।

क्या मिल सकता है

योजना के पोर्टल के अनुसार आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को साल में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज, और उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में बिना राशि की सीमा के कैशलेस इलाज।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित परिवारजन।

मुख्य शर्तें

- आवेदक उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 के अनुसार राज्य सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या आश्रित हो।
- स्टेट हेल्थ कार्ड जरूरी है, क्योंकि सूचीबद्ध अस्पताल में मरीज की पहचान इसी से पक्की की जाती है।
- यह सुविधा आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध निजी और सरकारी, दोनों तरह के अस्पतालों में मिलती है।
- आवेदन की जांच और मंजूरी कर्मचारी के आहरण वितरण अधिकारी से होती है, और पेंशनर के मामले में कोषाधिकारी से।

दस्तावेज़

- आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- नियमों के अनुसार आश्रितों की सूची
- कर्मचारी या पेंशनर और हर आश्रित का पासपोर्ट आकार का फोटो
- आश्रितों के आधार नंबर
- स्थायी दिव्यांगता वाले आश्रित का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां लागू हो

आवेदन कैसे करें

1. SECTS पोर्टल खोलें और कर्मचारी या पेंशनर आवेदन मेनू में स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन पर क्लिक करें।
2. अपना विवरण भरकर सहेजें, फिर आश्रितों को जोड़ें और दोबारा सहेजें।
3. आवेदन जमा करें। इसे आपके आहरण वितरण अधिकारी, और पेंशनर के लिए कोषाधिकारी, मंजूर करते हैं और मंजूरी के बाद आपको एसएमएस मिलता है।
4. एसएमएस मिलने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लाभार्थी पोर्टल beneficiary.nha.gov.in पर आधार ईकेवाईसी पूरा करें और स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sects.up.gov.in/
आधिकारिक आवेदन: https://sects.up.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-sects-cashless-chikitsa/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।